

भाग-III

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 अक्टूबर, 2020

संख्या का०आ० 52/ह०अ० 24/1973/घा० 257 तथा धारा 276/2020. — हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), की धारा 257 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) से (छ), उप-धारा (2), (4) तथा (7) तथा धारा 276 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 2/1/2019-आर.-II, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, इसके द्वारा, हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खण्ड (ज) में, "सदस्य" शब्द के स्थान पर, "अध्यक्ष तथा सदस्य" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
3. उक्त नियमों में, नियम 21 में,—
 - (i) विद्यमान उपान्तिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपान्तिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —
"अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अयोग्यताएं" ;
 - (ii) उप-नियम (1) में,
(क) "सदस्य के रूप में" शब्दों के स्थान पर "अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
(ख) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —
"(घ) समिति और राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई भी पद धारण करे";
(ग) खण्ड (त) के द्वितीय परन्तुक में, "योग्यता पांचवीं पास होगी", शब्दों के स्थान पर, "अध्यक्ष को छोड़कर सदस्यों के लिए योग्यता पांचवीं पास होगी" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
 - (iii) उप-नियम (4) में, "चाहे कोई सदस्य हो" शब्दों के स्थान पर, "चाहे अध्यक्ष या कोई सदस्य हो" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
4. उक्त नियमों में, नियम 23 में,—
 - (i) उप-नियम (1) में, "नगरपालिका की सदस्यता के लिये" शब्दों के स्थान पर, "अध्यक्ष या समिति की सदस्यता के लिये" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
 - (ii) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
"(4) इस नियम की कोई भी बात, किसी भी उम्मीदवार को उसी निर्वाचन-क्षेत्र में अध्यक्ष या सदस्य के निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामांकन पत्रों द्वारा नामनिर्देशित किए जाने से नहीं रोकेगी :
परन्तु उसी निर्वाचन क्षेत्र में अध्यक्ष या सदस्य के निर्वाचन हेतु किसी उम्मीदवार द्वारा या की ओर से चार से अधिक नामांकन पत्र न तो प्रस्तुत किए जाएंगे या न ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।
5. उक्त नियमों में, नियम 24 में,—
 - (i) उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—
"(1) किसी उम्मीदवार के नामांकन पत्र को तब तक विधिवत् दिया गया नहीं समझा जायेगा, जब तक नियम 23 के अधीन उसे देते समय उम्मीदवार द्वारा नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई राशि या तो रिटर्निंग अधिकारी के पास नकद जमा नहीं करवा दी जाती अथवा जमा नहीं करवाता अथवा नामांकन पत्र के साथ यह दर्शाते हुये रसीद संलग्न नहीं करता है कि उक्त राशि सरकारी खजाने में जमा करवा दी गई है या उस दिन के बाजार मूल्य के बराबर सरकारी वचन पत्र संलग्न नहीं करता :—

सारणी

समिति की श्रेणी	जमा की जाने वाली राशि			
	यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग का सदस्य अथवा महिला नहीं है		यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग का सदस्य अथवा महिला है	
	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य
नगरपरिषद्	₹3000/-	₹2000/-	₹1500/-	₹1000/-
नगरपालिका समिति	₹2000/-	₹1000/-	₹1000/-	₹500/- :

परन्तु जहां किसी उम्मीदवार द्वारा उसी निर्वाचन-क्षेत्र में अध्यक्ष और सदस्य के लिये निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामांकन पत्र भरे गये हैं, तो इस उपनियम के अधीन उससे एक से अधिक बार राशि जमा करवाने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।”;

- (ii) “उप-नियम (4) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
 “परन्तु यदि किसी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में अध्यक्ष अथवा सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरे गये हैं, तो उस द्वारा या उसकी ओर से जमा करवाई गई राशियों में से एक से अधिक नहीं लौटाई जाएगी तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी।”।

6. उक्त नियमों में, नियम 31 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थात् :-

“31. **उम्मीदवार निर्वाचित समझा जायेगा यदि संख्या एक है,-** (1) यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र में अध्यक्ष या सदस्य के लिए केवल एक उम्मीदवार है, तो निर्वाचन अधिकारी रिक्ति को भरने के लिए ऐसे उम्मीदवार को विधिवत् निर्वाचित घोषित करेगा।

(2) यदि कोई उम्मीदवार निर्वाचित नहीं किया जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त रिक्ति को भरने हेतु व्यक्तियों का चुनाव करवाने के लिए नियम 19 के अधीन नया निर्वाचन कार्यक्रम बनाएगा।”।

7. उक्त नियमों में, नियम 32 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“32. **मतदान करवाया जाना, यदि उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक है .-** यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र में अध्यक्ष के लिए अथवा सदस्य के लिए निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है, तो मतदान करवाया जायेगा।”।

8. उक्त नियमों में, नियम 33 में, “सदस्य” शब्द के स्थान पर, “अध्यक्ष या सदस्य” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

9. उक्त नियमों में, नियम 62 में, “यदि उस निर्वाचन-क्षेत्र में कोई भी मतदान नए सिरे से करवाया जाना आवश्यक न हो” शब्दों के स्थान पर, “यदि अध्यक्ष और सदस्य के लिए उस निर्वाचन-क्षेत्र में कोई भी मतदान नए सिरे से करवाया जाना आवश्यक न हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

10. उक्त नियमों में, नियम 70 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“ 70. **राजनिष्ठा की शपथ, और उप-अध्यक्ष के चुनाव के लिए समय सीमा-** (1) जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न करे, उपायुक्त या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित अधिकारी, समिति के चुने गये अध्यक्ष तथा सदस्यों के नामों की अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर, नव गठित समिति के निर्वाचित सदस्यों के सामान्य निवास स्थान पर अड़तालीस घण्टे का नोटिस भेजकर नियम 24 के अधीन राजनिष्ठा की शपथ हेतु प्रथम बैठक बुलायेगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा कि उपस्थित अध्यक्ष और सदस्यों को राजनिष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी।

(2) उपायुक्त या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित अधिकारी, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट बैठकों के लिए तीस दिन की अवधि के भीतर, अध्यक्ष और सदस्यों को उनके सामान्य निवास स्थान पर अड़तालीस घण्टे का नोटिस भेजकर बैठक बुलायेगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा कि बैठक में शेष बचे सदस्यों को राजनिष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी और कि बैठक में उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। संयोजक, प्रथमतः शेष बचे सदस्यों को राजनिष्ठा की शपथ दिलाएगा और उसके बाद उपाध्यक्ष के चुनाव की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) यदि अध्यक्ष और सदस्य उप-नियम (2) के अधीन बुलाई गई बैठक में उपाध्यक्ष का चुनाव करने में असफल रहते हैं, तो उपायुक्त या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित अधिकारी, उप-नियम (2) में

निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर उपाध्यक्ष का चुनाव उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया अनुसार करवाने के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक तब तक बुलाता रहेगा जब तक उपाध्यक्ष का चुनाव न हो जाये।

(4) यदि अध्यक्ष और सदस्य उप-नियम (2) और (3) के अधीन बुलाई गई बैठकों में उपाध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के प्रकाशन के पांच मास की समाप्ति की अवधि तक करवाने में असफल रहते हैं, तो उपायुक्त या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित अधिकारी उपाध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए अध्यक्ष और सदस्यों को उनके सामान्य निवास स्थान पर अड़तालीस घण्टे का नोटिस भेजकर बैठक बुलायेगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा कि यदि अध्यक्ष और सदस्य चुनाव करने में असफल रहते हैं, तो समिति बिना किसी आगामी नोटिस या आदेश के भंग कर दी गई समझी जाएगी।

(5) अधिनियम या नियमों के प्रतिकूल किसी बात के होते हुये भी, यदि अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष तथा सदस्यों के चुनाव अधिसूचना की तिथि से छह मास की अवधि की समाप्ति तक उपरोक्त उपबन्धों के अधीन दी गई प्रक्रिया अपनाने के बाद बुलाई गई बैठक में उपाध्यक्ष का चुनाव करवाने में असफल रहते हैं, तो समिति अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी भी प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना तुरन्त प्रभाव से भंग समझी जाएगी :

परन्तु ऐसी बैठकों को समिति की वैध रूप से बुलाई गई बैठकें समझा जाएगा।

(6) धारा 31 के अधीन किसी भी उप-नियम में दी गई किसी भी बात के होते हुये भी, राजनिष्ठा की शपथ दिलाए जाने और उपाध्यक्ष के चुनाव को बैठकों में कार्यवृत्तों में कार्यवाहियों के भाग के रूप में अभिलिखित किया जाएगा।”।

11. उक्त नियमों में, नियम 70 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :-

“70 क. अध्यक्ष के पद का आरक्षण.— नगरपालिकाओं में अध्यक्ष का पद सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों तथा महिलाओं में से निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चक्रानुक्रम द्वारा भरा जाएगा जो निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :-

- राज्य में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या, ऐसे अनुपात में होगी जो राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के समान नगरपालिकाओं के ऐसे पदों की कुल संख्या के समान अनुपात में हो ;
- नगरपालिकाओं में अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण अलग-अलग नगरपालिकाओं में बारी-बारी से होगा, जो निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और सम्बन्धित जिलों के उपायुक्तों या उनके नामनिर्देशितियों से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा ज़ा ऑफ लॉटस द्वारा अवधारित किया जायेगा ; तथा
- अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये अध्यक्ष के पदों की संख्या उनकी जनसंख्या के आधार पर अवधारित की जायेगी और प्रथमतः अनुसूचित जातियों की अधिकतम जनसंख्या वाली विभिन्न नगरपालिकाओं, द्वितीयतः पिछड़े वर्गों की अधिकतम जनसंख्या वाली शेष नगरपालिकाओं में बारी-बारी से होगी तथा इस तरह उनकी अगली अधिकतम जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के पदों की पश्चात्पूर्ती अवधि में बारी-बारी से होगी। यदि दो नगरपालिकाओं या नगरपरिषदों की जनसंख्या की प्रतिशतता पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में एक समान है, तो आरक्षण, उपरोक्त खण्ड (ii) में निर्दिष्ट समिति द्वारा संचालित किए जाने वाले ज़ा ऑफ लॉटस द्वारा अवधारित किया जाएगा।”

12. उक्त नियमों में, नियम 71 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“71. मतपत्र का लिया जाना और उसके बाद परिणाम .— (1) यदि उपाध्यक्ष के पद के लिए केवल एक उम्मीदवार का प्रस्ताव किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार को विधिवत् निर्वाचित घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है, तो मतदान, बैलेट पेपर या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा होगा। अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया जाए या तो बैलेट पेपर में तीर कास मार्क रबर मोहर लगाकर या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदान करना अपेक्षित होगा। अधिकतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जायेगा। ऐसे मतदान के लिए विशेष मतपत्र का प्रयोग किया जाएगा और उसमें उपायुक्त द्वारा उस पर लगाया हुआ अधिकारिक चिह्न होगा।

(2) ऐसे मतदान के लिए प्रयुक्त सभी बैलेट पेपर मतगणना के पूरा होने के तुरंत बाद स्टाउट लिफाफे में बंद किये जायेंगे और अधिकारी, जो अध्यक्ष सहित मौजूदा सदस्यों को ध्यान में रखते हुये बैठक की अध्यक्षता करता है, द्वारा सीलबद्ध किया जाएगा तथा चुनाव का विवरण सम्बन्धित मतपत्रों को अंकित किया जाएगा और ऐसे लिफाफे को एक अन्य बड़े लिफाफे में बंद किया जाएगा और उपायुक्त को दिया जाएगा। उपायुक्त चुनाव की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति तक आंतरिक लिफाफे को बरकरार रखेगा और उसके बाद राज्य सरकार, सक्षम न्यायालय या इन नियमों के

भाग V के अधीन किसी चुनाव की जांच के लिए नियुक्त किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रतिकूल निर्देशों के अधीन रहते हुये इसके विषय वस्तु को नष्ट करवाएगा।”

13. उक्त नियमों में, नियम 72 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“72. मतों की समानता की दशा में प्रक्रिया.— यदि दो या अधिक उम्मीदवार मतों की समान संख्या प्राप्त करते हैं तथा यह कि मतों का परिवर्धन उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए किसी भी उम्मीदवार को अधिकृत करेगा, तब बैठक की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उम्मीदवारों की उपस्थिति में किए जाने वाले ड्रा ऑफ लॉट्स द्वारा लड़ने वाले उम्मीदवारों के मध्य विनिश्चय करेगा तथा उम्मीदवार, जिसके पक्ष में ड्रा ऑफ लॉट्स होगा, को चुना गया समझा जाएगा।” ।

14. उक्त नियमों में, नियम 72 क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“72 क. उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव.—(1) समिति के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, उपायुक्त को सम्बोधित लिखित माँग, जो समिति के अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों से हस्ताक्षरित हो, के माध्यम से लाया जा सकता है :

परन्तु अध्यक्ष सहित सदस्य जिनके द्वारा ऐसा प्रस्ताव लाया गया है, प्रयोजन हेतु बुलाई गई बैठक से पूर्व इस प्रस्ताव को वापिस ले सकते हैं।

व्याख्या :- इस नियम के अधीन किसी भी अंश को पूर्ण रूप में लिया जाएगा ।

(2) उपायुक्त या उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा कोई अधिकारी जो सहायक आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो, अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य को उनके उपयोग के लिए माँग की प्रति वितरित करेगा ।

(3) उपायुक्त या उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा कोई अधिकारी, जो अतिरिक्त सहायक आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो, ऐसा नोटिस जो पंद्रह दिन से कम का न हो, देकर उपनियम (1) में निर्दिष्ट अविश्वास प्रस्ताव में विचारण के लिए विशेष बैठक बुलाएगा, और ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा:

“परन्तु प्रयोजन के लिए कोई भी ऐसी बैठक, तिथि, जिसको उपाध्यक्ष का निर्वाचन अधिसूचित किया गया था, से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व नहीं बुलाई जायेगी तथा ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद जब भी ऐसी बैठक उसकी पदावधि के दौरान बुलाई जाती है तथा पद खाली करने के लिए प्रस्ताव असफल हो जाता है, तो उसके बाद कोई भी बैठक किसी भी समय उपाध्यक्ष के विरुद्ध समरूप प्रस्ताव विचारने के लिए तब तक नहीं बुलाई जाएगी जब तक अन्तिम असफलता तथा तिथि जिसको ऐसी आगामी बैठक बुलाई गई है, के बीच कम से कम छह मास की अवधि का अन्तराल न हो।

(4) यदि समिति के अध्यक्ष सहित सदस्य के कम से कम दो तिहाई सदस्य के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो उपाध्यक्ष, द्वारा उसके पद को रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा ।

15. उक्त नियमों में, नियम 72 ख में, “अध्यक्ष अथवा”, शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।” ।

16. उक्त नियमों में, नियम 74 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ 74. अध्यक्ष या सदस्य का कोई भी निर्वाचन, इन नियमों के अनुसरण में प्रस्तुत की गई किसी निर्वाचन याचिका के सिवाय प्रश्नगत नहीं होगा। ” ।

17. उक्त नियमों में, नियम 75 में, “अध्यक्ष या”, शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

18. उक्त नियमों में, विद्यमान प्ररूप 1, 1ग, 1घ, 2, 2क, 2ख, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

प्ररूप 1

[देखिए नियम 23(2)]

नामांकन पत्र

मैं, उम्मीदवार को नगरपालिका/नगरपरिषद के अध्यक्ष के चुनाव अथवा नगरपालिका/नगरपरिषदकी वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र संख्या ----- से सदस्य के चुनाव के रूप में नामजद करता हूँ।

उम्मीदवार का नाम -----

डाक पता -----

उम्मीदवार का नाम नगरपालिका/नगरपरिषद ----- के वार्ड /निर्वाचन क्षेत्र संख्या----- की मतदाता सूची में क्रम संख्या ----- पर दर्ज है।

मेरा नाम ----- है तथा यह नगरपालिका/नगरपरिषद ----- की वार्ड संख्या----- की मतदाता सूची में क्रम संख्या ----- पर दर्ज है।

तिथि : -----

(प्रस्तावक के हस्ताक्षर)

मैं, उपर वर्णित उम्मीदवार, इस नामांकन से सहमत हूँ तथा एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ -----

(क) कि मैंने ----- वर्ष की आयु पूरी कर ली है,

(ख) कि मुझे ----- पार्टी द्वारा इस चुनाव के लिए खड़ा किया गया है।

(ग) कि जो निशान मैंने चुने हैं अधिमान्यता के क्रम से इस प्रकार हैं :-

(i) -----

(ii) ----- ; तथा

(iii) -----

*मैं आगे यह घोषणा करता हूँ कि मैं ----- जाति/वर्ग का सदस्य हूँ जो ----- राज्य के ----- (क्षेत्र) ये अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित है तथा जिसके लिए स्थान इस प्रकार आरक्षित किया गया है।

** मैं यह और घोषणा करती हूँ कि मैं एक महिला उम्मीदवार हूँ जिसके लिए यह सीट ऐसे रूप में आरक्षित की गई है।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(** जो यदि लागू ना हो उसे काट दें)

मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन

उपर्युक्त घोषणा ----- द्वारा सत्यनिष्ठा से मेरे सामने की गई है, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ अथवा उसकी पहचान मेरी संतुष्टि के अनुसार -----द्वारा की गई है।

स्थान -----

पूरे पदनाम सहित सत्यापन

तिथि -----

प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नामांकन पत्र की क्रम संख्या -----

यह नामांकन मुझे मेरे कार्यालय में _____ (तिथि) को समय
_____ (बजे) दिया गया।

रिटर्निंग अधिकारी

नामांकन पत्र स्वीकार करने या अस्वीकार करने वाले रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय

मैंने हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 27 के अनुसार इस नामांकन पत्र की जांच की है तथा निम्नानुसार निर्णय किया गया है :-

तिथि: _____

रिटर्निंग अधिकारी

उम्मीदवार को दिया गया निशान _____ है।

तिथि : _____

रिटर्निंग अधिकारी

**नामांकन पत्र की रसीद तथा संवीक्षा के लिए नोटिस
(नामांकन पत्र देने वाले व्यक्ति को दी जाए)**

नामांकन पत्र की क्रम संख्या _____

नगरपालिका/नगरपरिषद् _____ से अध्यक्ष के चुनाव अथवा नगरपालिका/नगरपरिषद्
_____ की वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र संख्या _____ से सदस्य के चुनाव के लिये उम्मीदवार
का नामांकन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में _____ (बजे) _____ (दिनांक) को
उम्मीदवार/प्रस्तावक द्वारा दिया गया। सभी नामांकन पत्रों की संवीक्षा _____ (बजे) _____
(दिनांक) _____ (स्थान) पर की जायेगी।

तिथि : _____

रिटर्निंग अधिकारी

प्ररूप 1ग

[देखिए नियम 23क]

कृपया अपना
नवीनतम
पासपोर्ट
आकार का
फोटो यहां
चिपकाएं

नगरपालिका/नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/नगरपरिषद् की वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से सदस्य के चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र सहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

भाग - क

मैं **पुत्र/पुत्री/पत्नी आयु..... वर्ष, जो..... (पूरा डाक पता दर्शाये) का/की निवासी हूँ उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ और शपथ पर निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ:-

- (1) मैं (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
(**जो भी लागू न हो काट दें)
- (2) मेरा नाम..... (नगरपरिषद/समिति का नाम), मैं भाग संख्या में क्रम संख्या पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरी सम्पर्क टेलीफोन संख्या/ संख्याएं है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो)..... है।
- (4) स्थाई लेखा संख्या (पैन) के ब्योरे और आयकर विवरणी दायर करने की स्थिति :-

क्रम संख्या	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी दायर की गई है।	आयकर विवरणी में दर्शाई गई कुल आय (रूपए में)
1	स्वयं			
2	पति या पत्नी			
3	आश्रित-1			
4	आश्रित-2			
5	आश्रित-3			

- (5) मैं किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/का अभियुक्त है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये हैं।

(क)	सम्बद्ध पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्योरे सहित मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं	
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये आरोपित किया गया है।	

(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तिथि	
(घ)	न्यायालय (न्यायालयों) जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई है।	
(ङ.)	तिथि (तिथियों) जिसके आरोप विरचित किये गये थे	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही (कार्यवाहियां) किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं।	

- (ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [उपरोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तिथि	
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	
(ग)	उपरोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण (यदि कोई हों) के लिए दायर की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) के ब्यौरे	

- (6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 43) को धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) में आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया तथा दंडित किया गया है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और विधि न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे सम्बद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तिथि (तिथियां)	
(ग)	अधिरोपित दंड	
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान स्थिति।	

- (7) कि मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (चल तथा अचल) आदि के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. चल आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण: 1.- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम से आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण: 2.- जमा/निवेश की दशा में, क्रम संख्या, राशि, जमा की तिथि, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पणी: 3.- सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में बंधपत्रों/शेयर डिवेचरों का मूल्य स्टाक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पणी: 4.— यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 4) की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (v) में दिया गया है।

टिप्पणी: 5.— राशि सहित ब्यौरे प्रत्येक निवेश के सम्बन्ध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ नकदी					
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में राशि					
(iii)	कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेचरों/ शेयरों तथा यूनिटों में निवेश के ब्यौरे और राशि					
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में निवेश के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में निवेश और राशि					
(v)	किसी व्यक्ति या हस्ती जिसमें फर्म कम्पनी, न्यास आदि सम्मिलित हैं, को दिए गए वैयक्तिक ऋण/ अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा राशि					
(vi)	मोटरयान/वायुयान /याट/ पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और राशि)					
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)					
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे दावों/हित का मूल्य					
(ix)	समग्र कुल मूल्य					

आ. अचल आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण: 1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण: 2. प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)					
	सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई सम्पति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित सम्पति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण इत्यादि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण इत्यादि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) –अवस्थिति (अवस्थितियां)					
	–सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं) क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण इत्यादि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश, अनुमानित चालू बाजार मूल्य					

(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित):- अवस्थिति (अवस्थितियाँ)-सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं) क्षेत्र					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय सम्पत्ति की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण इत्यादि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(v)	अन्य (जैसे सम्पत्ति में हित)					
(vi)	उपरोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य					

(8) मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, हस्ती या व्यष्टियों के नाम और प्रत्येक मद के समक्ष राशि के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या देय बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया राशि,					
	ऋण की प्रकृति उपरोक्त वर्णित नाम (नामों) से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों/हस्ती को ऋण या देय					
	बकाया राशि, ऋण की प्रकृति कोई अन्य दायित्व/दायित्वों का कुल योग					
(ii)	सरकारी देय: सरकारी आवास से सम्बन्धित विभागों को देय					
	जल आपूर्ति से सम्बन्धित विभागों को देय					
	विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित विभाग को देय					
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से सम्बन्धित विभाग को देय					
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकाप्टर सहित) से सम्बन्धित विभाग को देय					

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	आयकर देय					
	धनकर देय					
	सेवाकर देय					
	नगरपालिका/सम्पत्ति कर देय					
	विक्रय कर देय					
	कोई अन्य देय					
(iii)	सभी सरकारी देयों का कुल योग					
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां, तो अंतर्वलित राशि और प्राधिकारी, जिसके समक्ष यह लंबित है, का वर्णन करें।					

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:

(क) स्वयं.....

(ख) पति या पत्नी.....

(10) मेरी शैक्षणिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

.....

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रकार का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दें तथा विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष, जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का सार :

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु.				
2.	डाक का पूरा पता					
3.	नगरपालिका/परिषद्/समिति का नाम					
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)					
5.	(i) लम्बित मामलों की कुल संख्या, जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये गये हैं,					
	(ii) मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपरोक्त मद (i) में उल्लेखित मामलों से भिन्न)					
6.	कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया है तथा एक वर्ष या उससे अधिक के लिये कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), (2) या (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय)					
7.		-----की स्थायी लेखा संख्या (पैन)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी दायर की गई है।	दर्शाई गई कुल आय		
	अभ्यर्थी					
	पति या पत्नी					
	आश्रित					
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूप में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	चल आस्तियां (कुल मूल्य)					
ख.	अचल आस्ति					
	I	स्वार्जित अचल संपत्ति की क्रय कीमत				
	II	क्रय के पश्चात् अचल संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)				

	III	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
		(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)					
9.		दायित्व					
	(i)	सरकारी देय (कुल)					
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है						
	(i)	सरकारी देय					
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता— (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रकार का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष, जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)						

सत्यापन

मैं, उपरोक्त नामित अभिसाक्षी, इसके द्वारा, सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं यह और भी घोषणा करता हूँ कि :-

- (क) मेरे विरुद्ध उपरोक्त भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लेखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला लंबित नहीं है;
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपरोक्त भाग क की मद 8 और 9 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लेखित कोई आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति नहीं है।

आज20.....के.....दिन कोमें सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

टिप्पण: 1 शपथपत्र नामांकनों की संविधा की तिथि वाले दिन दस बजे तक दायर किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 2 शपथपत्र पर किसी शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण: 3 सभी खानों को भरा जाना चाहिए और कोई खाना खाली न छोड़ें। यदि किसी मद के संबंध में प्रस्तुत करने के लिए कोई जानकारी नहीं है, तो या तो "शून्य" या "लागू नहीं होता", जैसी भी स्थिति हो, उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 4 शपथपत्र टंकित या सुपाद्य तथा साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

प्ररूप 1घ

[देखिए नियम 23क]

नगरपालिका/नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/नगरपरिषद् की वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से सदस्य के चुनाव के लिये रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र तथा प्ररूप 1ग सहित, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र/घोषणा।

मैं.....**पुत्र/पुत्री/पत्नी..... आयु.....वर्ष (पूरा डाक पता वर्णित करें) का/की निवासी हूँ, उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ, और शपथ पर निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ:-

- (1) मैं.....(**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी हूँ/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा/रही हूँ।
(**जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम.....(नगरपरिषद्/नगरपालिका का नाम) में, भाग संख्यामें क्रम संख्यापर प्रविष्ट है।
- (3) मेरी/मेरे सम्पर्क टेलीफोन संख्या.....है/हैं और मेरी ई-मेल आई डी (यदि कोई हो).....है।
- (4) मैंने हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 21 के अधीन दी गई निम्न में से कोई अयोग्यता प्राप्त नहीं की है :-
 - (i) मैं किसी मामले में सिद्धदोष नहीं किया गया हूँ तथा किसी अपराधिक मामले, जिसमें दस वर्ष से कम का कारावास न हो, से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा मेरे विरुद्ध आरोप नहीं लगाये गये हैं।
 - (ii) मैं किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के मेरी ओर देय किसी प्रकार के बकायों का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूँ। उक्त संस्था (संस्थाओं) से बेबाकी प्रमाण-पत्र संलग्न है/हैं।
 - (iii) मैं बिजली बिलों के बकाया का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूँ। सम्बन्धित विद्युत उपयोगिता से देय प्रमाण-पत्र संलग्न है।
 - (iv) मैंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था/बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास की है।
या
मैंने मिडल कक्षा पास की है (किसी महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से सम्बन्धित उम्मीदवार की दशा में)
या
मैंने पांचवीं कक्षा पास की है (अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिला उम्मीदवार की दशा में, **अध्यक्ष को छोड़कर**)
सम्बन्धित संस्था/बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सही सत्यापित प्रति संलग्न है।
- (v) मेरे निवास स्थान पर कार्यशील शौचालय है।

अभिसाक्षी**सत्यापन**

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, इसके द्वारा, सत्यापन और घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और इसमें से कोई तात्त्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आज 20.....केदिन को.....में सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

टिप्पण: 1 शपथपत्र/घोषणा, नामांकनों की संवीक्षा की तिथि को 10:00 बजे तक दायर किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 2 शपथपत्र पर किसी शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण: 3 सभी खाने भरे जाने चाहिए और कोई खाना खाली न छोड़ें। यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं करनी है, तो या तो "शून्य" या "लागू नहीं होता", जैसी भी स्थिति हो, वर्णित किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 4 शपथपत्र/घोषणा या तो टंकित या सुपाठय तथा साफ-साफ लिखित होनी चाहिए।

प्ररूप 2

[देखिए नियम 39(2)]

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

नगरपालिका/नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/नगरपरिषद्की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या से सदस्य का चुनाव

में उपर्युक्त निर्वाचन का उम्मीदवार इसके द्वारा पुत्र/पुत्री..... को मतदान केन्द्र संख्या.....पर/मतदान के लिए निश्चित स्थान पर उपस्थित होने के लिये मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

स्थान

तिथि

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मैं ऐसे रूप में मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान

तिथि

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मतदान अभिकर्ता की घोषणा पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं

मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त चुनाव में नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 द्वारा वर्जित कोई कार्य नहीं करूंगा।

तिथि

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए

तिथि

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 2क

[देखिए नियम 39क]

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

नगरपालिका/नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/नगरपरिषद्की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या से सदस्य का चुनाव सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी

.....

.....

.....

मैं..... उपरोक्त निर्वाचन में उम्मीदवार, इसके द्वारा श्री (नाम तथा पता) को उपरोक्त निर्वाचन में आज से अपने निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

स्थान.....

तिथि.....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मैं उपरोक्त नियुक्ति को स्वीकार करता हूँ।

स्थान

तिथि

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप 2ख
[देखिए नियम 39(ख)(2)]
गणना अभिकर्ता की नियुक्ति

नगरपालिका / नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका / नगरपरिषद्
.....की वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र संख्या से सदस्य का चुनाव
सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी / पीठासीन अधिकारी,

.....

.....

.....

मैं..... उम्मीदवार / **निर्वाचन अभिकर्ता
..... जो उपरोक्त निर्वाचन में उम्मीदवार है, इसके द्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को में
मतगणना पर हाजिर रहने के लिए मुझे / उसके **गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

गणना अभिकर्ता का नाम

गणना अभिकर्ता का पता

1

2

3

4

5

6

इत्यादि

स्थान

तिथि

उम्मीदवार / निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर**

हम ऐसे गणना अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं।

1

2

3

4

5

6

इत्यादि

स्थान :

तिथि :

गणना अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

गणना अभिकर्ताओं की घोषणा

(रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

हम, इसके द्वारा, घोषणा करते हैं कि उपरोक्त निर्वाचन में, हम हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 275 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन निषिद्ध कुछ भी नहीं करेंगे। जिसे हमने पढ़ लिया है/हमें पढ़ कर सुना दिया गया है।

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

इत्यादि

स्थान

गणना अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

तिथि

मेरे सामने हस्ताक्षर किये गये

रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

**अनुपयुक्त विकल्प काट दें।

धारा 275

(1) प्रत्येक कर्मचारी, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो किसी निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या गिनने के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और उसके बनाए रखने में सहायता देगा और (किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के सिवाय) किसी व्यक्ति को कोई ऐसी जानकारी संसूचित नहीं करेगा, जिससे ऐसी गोपनीयता, भंग हो सकती है।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति जो जान बूझकर इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करता है, तीन मास की अनधिक अवधि के लिए किसी प्रकार के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित होगा।

प्ररूप 3

[देखिए नियम 46(2)ग]

आक्षेप किए गए मतों की सूची

नगरपालिका / नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका /
नगरपरिषद् की वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र संख्या से सदस्य का चुनाव
मतदान केन्द्र संख्या
हस्ताक्षर शीट संख्या

प्रविष्टि की क्रम संख्या	मतदाता का नाम	सूची में मतदाता के नाम की क्रम संख्या	आक्षेप किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	आक्षेप किए गए व्यक्ति का पता	पहचानकर्ता यदि कोई हो, का नाम	आक्षेपकर्ता का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	जमा राशि वापिस प्राप्त करने पर आक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

तिथि :

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 4

[देखिए नियम 53(2)]

नेत्रहीन तथा अशक्त मतदाताओं की सूची

नगरपालिका / नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका /
 नगरपरिषद्की वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र संख्या से सदस्य का चुनाव
 मतदान केन्द्र की संख्या / मतदान का स्थान

सूची में मतदाता का क्रम संख्या	मतदाता का पूरा नाम	साथी का पूरा नाम	साथी का पता	साथी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

तिथि

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 5

[देखिए नियम 55(2)]

निविदत्त मतों की सूची

नगरपालिका/नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/
 नगरपरिषद्की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या से सदस्य का चुनाव
 मतदान केन्द्र की संख्या/मतदान का स्थान

सूची में मतदाता का क्रम संख्या तथा नाम	मतदाता का पता	निविदत्त मतपत्र की क्रम संख्या	उस व्यक्ति को जारी किए गए मतपर्ची की क्रम संख्या जिसने पहले मतदान कर रखा है	मत डालने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5

तिथि :

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 6

[देखिए नियम 57]

मतपत्र लेखा

नगरपालिका/नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/
नगरपरिषद्की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या से सदस्य का चुनाव
मतदान केन्द्र की संख्या/मतदान का स्थान

	क्रम संख्या	कुल संख्या
(1) प्राप्त हुये मत पत्र
(2) अप्रयुक्त मत पत्र.....		
(क) पीठासीन अधिकारी, यदि कोई हो, के हस्ताक्षर से, तथा	
(ख) पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर के बिना।	
(3) मतदाताओं को जारी किए गए मतपत्र	
(4) रद्द किए गए मतपत्र.....		
(क) मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए	
(ख) किसी अन्य कारण से	
(5) निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयुक्त मतपत्र	
(6) मतपत्र जो मतपेटी में होने चाहिए।	

तिथि.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 7

[देखिए नियम 60(2)]

(मतों की गणना करने के बाद भरा जाएगा)

मतपत्रों की गणना का प्ररूप

नगरपालिका/नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/
 नगरपरिषद्की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या से सदस्य का चुनाव
 मतदान केन्द्र संख्या.....
 गणना की तिथि

I	क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	डाले गये वैध मतों की संख्या
---	-------------	------------------	-----------------------------

	1.
--	----	-------	-------

	2.
--	----	-------	-------

	3.
--	----	-------	-------

	4.इत्यादि	
--	----	--------------	--

II. रद्द किए गए मतपत्र.....

III. कुल संख्या

IV. क्या ऊपर मद संख्या III में दर्शाए गये मतपत्रों की संख्या प्ररूप 6 में मद संख्या 6 के सामने दर्शाई गई संख्या से मिलती है या इन दोनों आंकड़ों में कोई विसंगति ध्यान में आई है।

तिथि.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 8

[देखिए नियम 62, 69प (2) (ग), 69फ (1), तथा 69(ब)(2)]

गणना किए गए मतपत्रों के समेकन लेखा का प्ररूप

नगरपालिका/नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/
नगरपरिषद्की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या से सदस्य का चुनाव

मतदान केन्द्र संख्या	मतपेटी (पेटियों)/ इलैक्टॉनिक मतदान मशीन (मशीनों) में पाये गये कुल मत	निविदत्त मतों की संख्या	उम्मीदवार के वैध मत								कुल वैध मत	अस्वीकृत मतों की संख्या	मतों के लिए "नोटा" विकल्प	वैध तथा अस्वीकृति कुल मत
			क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज				
1														
2														
3														
4														
5														
इत्यादि														
कुल														

स्थान.....

तिथि.....

रिटर्निंग अधिकारी

प्ररूप 10

[देखिए नियम 50क (1)]

रिटर्निंग अधिकारी को सूचना पत्र

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी,

..... वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र, संख्या.....

नगरपालिका/ नगरपरिषद्

महोदय,

मैं नगरपालिका/ नगरपरिषद् के अध्यक्ष के चुनाव अथवा नगरपालिका/ नगरपरिषद्की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या से सदस्य के चुनाव के लिये अपना मतपत्र डाक द्वारा देना चाहता हूँ।

मुझे..... नगरपालिका/ नगरपरिषद् में.....
 .. वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र (संख्या तथा नाम) पर निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात किया गया है। मेरा नाम नगरपालिका/ नगरपरिषद् केवार्ड/निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या पर प्रविष्ट है।

मुझे मतपत्र निम्नलिखित पते पर भेजा जाए :-

भवदीय,

स्थान :

तिथि :

(.....)

प्ररूप 11

[देखिए नियम 69 ढ (1)]

निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

नगरपालिका/ नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/
नगरपरिषद्की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या से सदस्य का चुनाव
सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी,
.....
.....
.....

श्रीमान जी,

मैं उपरोक्त वार्ड के आगामी निर्वाचन में निजी रूप में अपना मत डालना चाहता हूं। मेरा नाम उपरोक्त वार्ड/
निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या में क्रम संख्या.....पर दर्ज है।

मैं वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्याके मतदान केन्द्र संख्यामतदान
केन्द्र का नाम पर निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात किया गया हूं।

मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे प्ररूप 13 में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र मतदान केन्द्र, जहां पर मैं मतदान के दिन
निर्वाचन ड्यूटी पर रहूंगा, में मतदान हेतु समर्थ बनाने के लिए जारी किया जाये। यह मुझे निम्नलिखित पते पर भेजा जाये :-

भवदीय,

तिथि :

(आवेदक का नाम)

प्ररूप 12

[देखिए नियम 69छ, 69ज(7), 69ड, 69त(1)(ख) तथा 69भ(1)(ड), फार्म 18]

मतदाताओं का रजिस्टर

नगरपालिका/नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/नगरपरिषद्
की वार्ड/ निर्वाचन-क्षेत्र संख्या से सदस्य का चुनाव

मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम

मतदाता सूची की भाग संख्या

क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या	निर्वाचक के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान	टिप्पणी
1			
2			
3			
4			
5 इत्यादि			

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 13

[देखिए नियम 69ड, 69ढ(1)(क) तथा 69त(1)(ड)]

निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
 पुत्र/पुत्री/ पत्नी * वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या
 में निर्वाचक है, उसकी निर्वाचक नामावली संख्या..... है, जोकि उसके निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण वह मतदान केन्द्र, जहां वह मत देने का हकदार है, में मत देने में असमर्थ है और इसलिए इसके द्वारा उसे किसी मतदान केन्द्र में, जहां वह मतदान की तिथि को ड्यूटी पर हो, मत देने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

स्थान

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

तिथि

मोहर

* समुचित ब्योरे दिये जायें।

प्ररूप 14

[देखिए नियम 69द(4)(क) तथा (6) (ख) तथा (ग) और प्ररूप 17]

डाक मतपत्र के प्रयोग के लिये निर्वाचक द्वारा घोषणा

(इस तरफ का प्रयोग केवल तब किया जाना है जब निर्वाचक स्वयं घोषणा पर हस्ताक्षर करता है)

नगरपालिका / नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका / नगरपरिषद्
की वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र संख्या से सदस्य का चुनाव
 मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता हूँ कि मैं वह निर्वाचक हूँ जिसे क्रम संख्या वाला डाक
 मतपत्र उपरोक्त निर्वाचन में जारी किया गया है।

तिथि

निर्वाचक के हस्ताक्षर

पता

.....

हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन

उपरोक्त (निर्वाचक) द्वारा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं जो मुझे
 व्यक्तिगत रूप में जानता है / जिसे (पहचानकर्ता) द्वारा मेरी सन्तुष्टि के लिए पहचाना है
 जो व्यक्तिगत रूप में मुझे जानता है।

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर

अनुप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर

यदि कोई हो

पदनाम

पता

पता

.....

.....

तिथि

(इस तरफ का तब प्रयोग किया जाना है जब निर्वाचक स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकता)

मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता हूँ कि मैं वह निर्वाचक हूँ जिसे क्रम संख्या वाला डाक
 मतपत्र उपरोक्त निर्वाचन में जारी किया गया है।

तिथि

निर्वाचक की ओर से अनुप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्वाचक का पता

.....

प्रमाणपत्र

मैं, इसके द्वारा, प्रमाणित करता हूँ कि. —

- (1) उपरोक्त नामित निर्वाचक व्यक्तिगत रूप से मुझे जानता है जिसे (पहचानकर्ता) द्वारा मेरी सन्तुष्टि के लिए पहचाना है जो व्यक्तिगत रूप में मुझे जानता है।
- (2) मुझे विश्वास है कि निर्वाचक निरक्षर है जो (अशक्तता) से पीड़ित है और अपना मत स्वयं अभिलिखित करने में या अपनी घोषणा हस्ताक्षर करने में असमर्थ है।
- (3) उसने मुझसे उसकी ओर मतपत्र चिह्नित करने और उपर्युक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने की प्रार्थना की थी।
- (4) मैंने उसकी उपस्थिति में और उसकी इच्छा के अनुसार उसकी ओर से मतपत्र चिह्नित और घोषणा हस्ताक्षरित की थी।

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर

यदि कोई हो

पदनाम

पता

पता

.....

.....

तिथि

प्ररूप 15*[देखिए नियम 69ड(4) (ख) तथा (6) (क)]***लिफाफा "क"****गणना से पूर्व नहीं खोला जाना है**

नगरपालिका / नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा
नगरपालिका / नगरपरिषद्की वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र संख्या से सदस्य का चुनाव

डाक मतपत्र

डाक मतपत्र की क्रम संख्या.....

प्ररूप 16

[देखिए नियम 69ढ 4(ग)]

बड़ा लिफाफा "ख"

नगरपालिका/ नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/ नगरपरिषद्की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या से सदस्य के चुनाव में प्रयोग किया जाये।

लिफाफा "ख"

बिना सरकारी टिकट

प्रत्येक अधिकारी जिसकी देखरेख में या जिसके द्वारा डाक मतपत्र भेजा जाता है वह अविलम्ब पते पर इसका वितरण सुनिश्चित करेगा। {नियम 50क (4)}

निर्वाचन-अविलम्बडाक मतपत्र

नगरपालिका/ नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/ नगरपरिषद्की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या से सदस्य के चुनाव के लिये।

(गणना से पूर्व नहीं खोला जाना है)

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी

**

.....

.....

भेजने वाले के हस्ताक्षर.....

.....

.....

** रिटर्निंग अधिकारी यहां पर पूरा पता वर्णित करें।

प्ररूप 17

[देखिए नियम 69ढ (4)(घ) तथा (6)(क) तथा (ग) तथा 69ब(1)]

डाक मतपत्र का प्रयोग करने के लिए निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए हिदायतें

नगरपालिका/नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/
नगरपरिषद्की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या से सदस्य का चुनाव

व्यक्ति जिन के नाम इसके साथ भेजे गये मतपत्र पर मुद्रित हैं वे उपरोक्त निर्वाचन में उम्मीदवार हैं। यदि आप मत देना चाहते हो, तो आप नीचे भाग-I में दिये गये निदेशों के अनुसार अपना मत अभिलिखित करेंगे तथा तब भाग- II में विस्तृत अनुदेशों का अनुसरण करेंगे।

भाग-I**निर्वाचकों के लिए अनुदेश**

1. निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है।
2. आपका केवल एक मत है।
3. आपको एक से अधिक उम्मीदवार के लिए मत नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे, तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
4. उम्मीदवार जिसको आप अपना मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने स्पष्ट रूप से चिह्न लगाते हुये मत अभिलिखित करें।
5. चिह्न इस प्रकार लगाया जाएगा जो उम्मीदवार जिसको आप अपना मत दे रहे हैं को स्पष्ट रूप से सूचित करें तथा सन्देह के परे हो। यदि चिह्न इस प्रकार लगाया गया है जो उम्मीदवार जिसको आपने अपना मत दिया है को सन्देहपूर्ण बनाता है तो आपका मत अवैध हो जाएगा।
6. चिह्न जो मतपत्र पर आपको पैरा 4 के अनुसार उस पर करने अपेक्षित हैं, के सिवाय अपने हस्ताक्षर न करें या कोई शब्द न लिखें या कोई चिह्न न लगाएं, हस्ताक्षर या लिखित में कुछ भी ना करें।
7. निर्वाचक प्ररूप-14 में घोषणा पर अपने हस्ताक्षरों का अनुप्रमाणन मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से करवाएगा, यदि वह निर्वचान ड्यूटी पर है, तो किसी राजपत्रित अधिकारी से या मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी से जिस में वह निर्वाचन ड्यूटी पर है।

भाग- II

निर्वाचकों के लिए अनुदेश

- (क) आपको मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात मतपत्र को इसके साथ भेजे गये "क" चिह्नित छोटे लिफाफे में रखें। लिफाफे को बन्द कर दें और उसे मोहर लगाकर या अन्यथा सुरक्षित कर दें।
- (ख) इसके उपरान्त आप इसके साथ भेजी गई प्ररूप-14 में घोषणा भी मजिस्ट्रेट या किसी अन्य अधिकारी जो आपके हस्ताक्षर सत्यापन करने में सक्षम हो (देखिए उपरोक्त अनुदेश 7) की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हैं। घोषणा ऐसे अधिकारी के पास ले जाएं और उसकी आपकी पहचान के बारे में सन्तुष्टि होने के बाद उसकी उपस्थिति में इसे हस्ताक्षर करें। अधिकारी घोषणा पर आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करेगा तथा आपको लौटाएगा। आपको अपना मतपत्र अनुप्रमाणन अधिकारी को न तो दिखाना है और न ही उसे बताना है कि आपने किस प्रकार मत दिया है।
- (ग) यदि आप निक्षरता, अन्धेपन या अन्य अशक्तता के कारण उपरोक्त सूचित रीति में स्वयं मतपत्र चिह्नित करने और अपनी घोषणा हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं, तो आप मद (ख) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आपकी ओर से आपका मत चिह्नित करने और घोषणा हस्ताक्षरित करने के लिये हकदार हैं। ऐसा अधिकारी आपकी प्रार्थना पर आपकी उपस्थिति में और आपकी इच्छा के अनुसार मतपत्र को चिह्नित करेगा। वह इस निमित्त आवश्यक प्रमाण-पत्र भी पूरा करेगा।
- (घ) आपकी घोषणा हस्ताक्षरित किए जाने और आपके हस्ताक्षर मद (ख) या मद (ग) के अनुसार अनुप्रमाणित किए जाने के पश्चात प्ररूप-14 में घोषणा, मतपत्र अन्तर्विष्ट करने वाले "क" चिह्नित छोटे लिफाफे, "ख" चिह्नित बड़े लिफाफे में रखें। बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात उसे डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को भेज दें। आपको चिह्नित लिफाफे पर उपलब्ध स्थान पर पूरे हस्ताक्षर करने हैं। आप द्वारा कोई भी डाक टिकट लगानी आवश्यक नहीं है।
- (ङ) आप सुनिश्चित कर लें कि लिफाफा चुनाव अधिकारी के पास.....** को.....बजे से पूर्व पहुंच जाए।
- (च) कृपया यह भी ध्यान रखें कि :-
- (i) यदि आप अपनी घोषणा उपरोक्त निर्दिष्ट रीति में अनुप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते हैं, तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा ; तथा
- (ii) यदि लिफाफा रिटर्निंग अधिकारी के पास.....को.....बजे के पश्चात पहुंचेगा तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी।

** यहां मतगणना के प्रारंभ के लिए नियत समय और तिथि विनिर्दिष्ट करें।

प्ररूप 18

[देखिए नियम 69थ (1), 69 द(1) (ii), 69प (2) (क) तथा (ख), 69फ (1)]

भाग I – अभिलिखित मतों का लेखा

नगरपालिका/नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/
नगरपरिषद्की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या से सदस्य का चुनाव

मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम.....

मतदान केन्द्र पर प्रयोग की गई मतदान मशीन की पहचान संख्या

नियंत्रण यूनिट.....

मतदान यूनिट.....

1. मतदान केन्द्र के नियत निर्वाचकों की कुल संख्या.....
2. मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 12) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या.....
3. "उपरोक्त में से कोई नहीं " के लिये मतदाताओं की कुल संख्या
4. नियम 69छ या 69ज के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या।
5. मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या..... ।
6. क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2-4 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या से मेल खाती है या इसमें कोई विसंगति पाई गई है (हां या नहीं) ।
7. उन मतदाताओं की संख्या जिनको निविदत्त मतपत्र नियम 55 के अधीन जारी किए गए थे।
8. निविदत्त मतपत्रों की संख्या।

क्रम संख्या

.....से.....तक

(क) उपयोग के लिए प्राप्त.....

(ख) निर्वाचकों को जारी किए गए.....

(ग) प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए.....

9. कागज की सीलों का लेखा

क्रम संख्या

.....से तक

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. दी गई कागज की सीलों
की क्रम संख्या से तक 1.....
2. दी गई सीलों की कुल संख्या 2.....
3. प्रयुक्त कागज की सीलों की संख्या 3.....
4. रिटर्निंग अधिकारी को वापस की
गई अप्रयुक्त कागज की सीलों की
संख्या (मद 2 से मद 3 निकाल दें) 4.
5. नष्ट हुई कागज की सीलों की क्रम
संख्या, यदि कोई है। 5.
6.
7.

तिथि

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान.....

मतदान केन्द्र संख्या.....

भाग II—मतगणना का परिणाम

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	अभिलिखित मतों की संख्या
1	क	
2	ख	
3	
4	
5	उपरोक्त में से कोई नहीं	
.....		
कुल		

क्या उपरोक्त दर्शाए गए मतों की कुल संख्या भाग I की मद संख्या 5 के सामने दर्शाए गए मतों की कुल संख्या से मेल खाती हैं या दोनों योगों में कोई विसंगति ध्यान में आई है।

स्थान.....

तिथि

गणना पर्यवेक्षक/पीठासीन अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर

उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता/गणना अभिकर्ताओं के नाम

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

.....
.....

रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर "।

एस० एन० राय,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 30th October, 2020

No. S.O. 52/H.A. 24/1973/S.257&S. 276/2020.— In exercise of the powers conferred by clauses (c) to (g) of sub-section (1) sub-sections (2), (4) and (7) of section 257 and section 276 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department Notification No. 2/1/2019-R-II, dated 17th December, 2019, the Governor of Haryana in consultation with the State Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Election Rules, 1978, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Municipal Elections (Amendment) Rules, 2020.
2. In the Haryana Municipal Election Rules, 1978 (hereinafter called the said rules), in rule 2, in clause (h), for the words “the members”, the words “the president and members” shall be substituted.
3. In the said rules, in rule 21,-
 - (i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely :-
“Disqualifications for President and members”;
 - (ii) in sub- rule (i),-
 - (a) for the words “as a member”, the words “as president or a member” shall be substituted ;
 - (b) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-
“hold any office of profit under the committee and the State Government”;
 - (c) in the second proviso to clause (p), for the words
“qualification shall be 5th pass”, the words “qualification for members excluding president shall be 5th pass” shall be substituted ;
 - (iii) In sub-rule (4), for the words “whether a member”, the words “whether the president or a member” shall be substituted.
4. In the said rules, in rule 23-,
 - (i) in sub-rule (1), for the words “for membership of the committee”, the words “for president or member of the committee” shall be substituted ;
 - (ii) for sub rule (4), the following sub-rule shall be substituted namely:-
“(4) Nothing in this rule shall prevent any candidate from being nominated by more than one nomination paper for election of president or member in the same constituency :
Provided that not more than four nomination papers shall be presented by or on behalf of any candidate or accepted by the Returning Officer for election of president or member in the same constituency.
5. In the said rules, in rule 24,-
 - (i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
“(1) The nomination paper of a candidate shall not be deemed to have been duly delivered unless at the time of delivery of the same under rule 23, the candidate has either deposited or causes to be deposited a sum shown in the table below with the Returning Officer in cash or enclose with the nomination paper a receipt showing that the said sum has been deposited in the Government treasury, or Government promissory notes of equal value at the market rate of the day:-

TABLE

Class of Committee	Amount of deposit			
	If the candidate is not a member of Scheduled Caste, Backward Class or a Woman		If the candidate is a member of Scheduled Caste, Backward Class or a woman	
	President	Member	President	Member
Municipal Council	₹ 3000/-	₹ 2000/-	₹ 1500/-	₹ 1000/-
Municipal Committee	₹ 2000/-	₹ 1000/-	₹ 1000/-	₹ 500/-

Provided that where a candidate has been nominated by more than one nomination papers for election of president or member in the same constituency, not more than one deposit shall be required of him under this sub-rule”.

(ii) in sub-rule (4), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :-

“Provided that if a candidate has filed a nomination paper at an election of president or member in more than one constituency, not more than one of the deposits made by him or on his behalf, shall be returned and the remainder shall be forfeited by the State Government.”.

6. In the said rules, for rule 31, the following rule shall be substituted, namely:-

“31. Candidate deemed to be elected if the number is one.- (1) If there is only one candidate for President or member in any constituency, the Returning Officer shall declare such candidate to be duly elected to fill the vacancy.

(2) If there is no candidate to be elected, the State Election Commissioner shall frame fresh election programme under rule 19 to elect person to fill the vacancy.” .

7. In the said rules, for rule 32, the following rule shall be substituted, namely:-

“32. Poll to be taken if number of candidates is more than number of vacancies.-If the number of contesting candidates for president or member in any constituency is more than one, a poll shall be taken.”.

8. In the said rules, in rule 33, for the words “a member”, the words “president or member” shall be substituted.

9. In the said rules, in rule 62, for the words “if no fresh poll is required to be held in that constituency”, the words “if no fresh poll is required to be held for president and member in that constituency” shall be substituted.

10. In the said rules, for rule 70, the following rule shall be substituted, namely:-

“70. Time line for Oath of allegiance and election of vice-president.- (1) Unless the State Government otherwise directs, the Deputy Commissioner or any gazetted officer appointed by him in this behalf shall, within thirty days of the publication of the notification of the names of the president and members elected to a committee, convene the first meeting of the newly constituted committee at forty-eight hours' notice to be delivered at their ordinary place of residence to administer an oath of allegiance under section 24. The notice shall clearly state that the oath of allegiance shall be administered to the president and members present.

(2) The Deputy Commissioner or any gazetted officer appointed by him in this behalf shall, within a period of thirty days of the meeting referred to in sub-rule (1), convene a meeting of the president and members at forty-eight hours notice to be delivered at their ordinary place of residence. The notice shall clearly state that the oath of allegiance shall be administered to the left over members and that the election of the vice-president shall be held in the meeting. The convener shall firstly administer the oath of allegiance to the left over members and thereafter shall preside over the meeting of the election of vice-president.

(3) If the president and members fail to elect the vice-president in the meeting convened under sub-rule (2), the Deputy Commissioner or any gazetted officer appointed by him in this behalf shall, within a period of thirty days of the meeting referred to in sub-rule (2), convene meeting of the president and members for the election of the vice-president as per the procedure mentioned above until the vice-president are elected.

(4) If the president and members fail to elect the vice-president in the meetings convened under sub-rule (2) or (3) till the expiry of five months from the date of notification of elected president and members by the State Election Commission, the Deputy Commissioner or any gazetted officer appointed by him in this behalf shall, convene a meeting of the president and members for the election of vice-president at forty-eight hours' notice to be delivered at their ordinary place of residence. The notice shall clearly state that if the members fail to elect the vice-president in the meeting, the committee shall be deemed to have been dissolved without any further notice or order.

(5) Notwithstanding anything contrary to the Act or rules, if the president and members fail to elect the vice-president in the meetings convened after following the procedure provided under aforesaid provisions till the expiry of six months from the date of notification of the elected president and members, the committee shall be deemed to be dissolved with immediate effect without following any procedure provided under the Act or rules made there under:

Provided that such meetings shall be deemed to be validly convened meetings of the committee.

(6) Notwithstanding anything contained in any bye-laws made under section 31, the administration of the oath of allegiance and the election of the vice-president shall be recorded as part of the proceedings in the minutes of the meetings.”.

11. In the said rules, after rule 70, the following rule shall be inserted, namely:-

“70 A. Reservation of office of president.- The office of the president in the municipalities shall be filled through direct election by the electors from amongst the persons belonging to the general category, Scheduled Castes, Backward Classes and women by rotation which shall be determined in the following manner, namely:-

- (i) the number of offices of the president reserved for the Scheduled Castes and Backward Classes in the State shall bear as may be the same proportion to the total number of such offices of the municipalities as the population of the Scheduled Castes and Backward Classes in the State bears to the total population of the State ;
- (ii) not less than one third of the total number of offices of the president in the municipalities shall be reserved for women including the offices reserved for Scheduled Castes and Backward Classes women. The reservation of offices for women shall rotate to different municipalities which shall be determined by draw of lots by a committee consisting of the Director, Local Bodies and Deputy Commissioners of the districts concerned or their nominee; and
- (iii) the number of offices of the president for Scheduled Castes and Backward Classes shall be determined on the basis of their population and shall rotate to different municipalities firstly, having largest population of Scheduled Castes, secondly, from the remaining municipalities having largest population of Backward Classes and they rotate in the subsequent terms of offices of the municipalities having their next largest population and so on. In case percentage of population of two Municipal Committees or Municipal Councils as regards Backward Classes and Scheduled Castes is the same, the reservation shall be determined by draw of lots to be conducted by a committee referred clause (ii) above.”.

12. In the said rules, for rule 71, the following rule shall be substituted, namely:-

“71. Ballot to be taken and result thereof.- (1) If only one candidate for the office of vice-President is proposed, such candidate shall be declared to have been duly elected. If the number of proposed candidates is more than one, the voting shall be by ballot paper or electronic voting machine. The members including president present shall be required to vote by ballot paper by marking with arrow cross mark rubber stamp or by electronic voting machine, as may be directed by the State Election Commission. The candidate getting the maximum number of votes shall be declared to have been elected. Special ballot paper shall be used for such voting and it shall bear an official mark to be placed thereon by the Deputy Commissioner.

(2) All ballot papers used for such voting shall, immediately after the counting of votes has been completed, be enclosed in the stout envelope and sealed by the officer who presided at the meeting in the view of the members including president present there at and the description of the election to which the ballot papers relate shall be inscribed thereon and such envelope shall be enclosed in another large envelope which shall be addressed and delivered to the Deputy Commissioner. The Deputy Commissioner shall preserve the inner envelope intact until the expiry of one year from the date of the election and shall then, subject to any direction to the contrary made by the State Government or a competent court or a person or persons appointed to hold an enquiry into an election under Part V of these rules, cause it to be destroyed with its contents.”.

13. In the said rules, for rule 72, the following rule shall be substituted, namely:-

“72. Procedure in case of the equality of votes.- If two or more candidates obtain an equal number of votes and that the addition of a vote would entitle any of the candidates to be elected as vice-president, then the officer presiding over the meeting shall decide, between the contesting candidates by draw of lots to be drawn in the presence of the candidates, and the candidate on whose favour the draw of lot falls shall be deemed to have been elected.”.

14. In the said rules, for rule 72 A, the following rule shall be substituted, namely:-

“72 A. No confidence motion against vice-president.- (1) A motion of no confidence against the vice-president of a committee may be made through a requisition given in writing addressed to the Deputy Commissioner, signed by not less than one-third of the total number of members including president of a committee:

Provided that the members including president who have made such a motion may withdraw the same before the meeting is convened for the purpose.

Explanation:- Any fraction under this rule shall be taken as a whole.

(2) The Deputy Commissioner or such other officer not below the rank of an Extra Assistant Commissioner, as the Deputy Commissioner may authorise, shall circulate to each member including president a copy of the requisition for their use.

(3) The Deputy Commissioner or such other officer not below the rank of Extra Assistant Commissioner, as the Deputy Commissioner may authorise, shall convene a special meeting by giving a notice of not less than fifteen days for the consideration of the motion referred to in sub-rule (1), and shall preside over at such meeting :

Provided that no such meeting for the purpose shall be convened before the expiry of one year from the date on which the election of the vice-president was notified, and after the expiry of such period, whenever any such meeting is convened during his term of office and the proposal for vacating the office fails, no further meeting shall at any time thereafter be convened for considering a similar proposal, against the vice-president unless a period of at least six months intervenes between the last failure and the date on which such further meeting is convened.

(4) If the motion is carried out with the support of not less than two-third of the members including president of the committee, the vice-president shall be deemed to have vacated his office.”

15. In the said rules, in rule 72 B, the words “President or”, shall be omitted.

16. In the said rules, for rule 74, the following rule shall be substituted, namely:-

“**74.** No election of the president or member shall be called in question except by an election petition presented in accordance with these rules.”.

17. In the said rules, in rule 75, the words “President or”, shall be omitted.

18. In the said rules, for the existing Form number 1, 1 C, 1 D, 2, 2 A, 2 B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18, the following forms shall be substituted, namely :-

FORM 1

[see rule 23(2)]

NOMINATION PAPER

I, nominate as a candidate of election to President from Municipal Committee/Council, _____ **Or** election to member from Ward/Constituency _____
Number _____ of _____ Municipal Committee/Council _____.

Candidate's name _____

Postal address _____

His name is entered at serial No. _____ in Ward No. _____ of the electoral roll for the _____ Committee/Council.

My name is _____ and it is entered at serial No. _____ in Ward No. _____ of the electoral roll for the _____ Committee/Council.

Date _____

(Signature of proposer)

I, the above mentioned candidate, assent to this nomination and hereby declare :-

- (a) that I have completed _____ years of age;
- (b) that I am set up at this election by the _____ party ;
- (c) that the symbols I have chosen are in order of preference-
 - (i) _____
 - (ii) _____ ; and
 - (iii) _____

*I further declare that I am a member of the _____ Caste/Class which is a Scheduled Caste or Backward Class of the State of _____ in relation to _____ (area) in the State and for which the seat has been so reserved.

*I further declare that I am a women candidate for which the seat has been so reserved.

Signature of candidate

(*Strike out whichever is not applicable)

VERIFICATION BY MAGISTRATE

The above declaration is solemnly affirmed before me by _____ who is personally known to me or who has been identified to my satisfaction by _____.

Place: _____

Signature of verifying authority
with full designation.

Date: _____

(To be filled in by the Returning Officer)

Serial No. of nomination paper _____.

This nomination was delivered to me at my office at _____ (hour) on _____ (date).

Returning Officer**Decision of Returning Officer accepting or rejecting the nomination paper**

I have examined this nomination paper in accordance with rule 27 of the Haryana Municipal Election Rules, 1978 and decide as follows :-

Date: _____

Returning Officer

The symbol assigned to the candidate is _____

Date: _____

Returning Officer

Receipt for Nomination Paper and Notice of Scrutiny**(To be handed over to the person presenting the nomination paper)**

Serial No. of nomination paper _____

The nomination paper of _____ a candidate for election to President from Municipal Committee/Council _____ **Or** election to member from Ward/Constituency Number _____ of Municipal Committee/Council _____ was delivered to me at my office at _____ (hour) on _____ (date) by the candidate/proposer. All nomination papers will be taken up for scrutiny at _____ (hour) on _____ (date) at _____ (place).

Date: _____

Returning Officer

FORM 1C
(see rule 23A)

Please affix your
recent passport
size photograph
here

Affidavit to be filed by the candidate along with nomination paper before the Returning Officer for election to President from Municipal Committee/Council _____ Or election to member from Ward/Constituency No. _____ of Municipal Committee/Council _____

PART-A

I.....**son/daughter/wife agedyears, resident of..... (mention full postal address), a candidate at the above election, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

(1) I am a candidate set up by(**name of the political party)**am contesting as an Independent candidate.

(**strike out whichever is not applicable)

(2) My name is enrolled in (Name of the Municipal Council/Committee), at Serial No.in Part No.....

(3) My contact telephone number(s) is/areand my e-mail id (if any) is

(4) Details of Permanent Account- Number (PAN) and status of filing of Income Tax return:

Serial Number	Names	PAN	The financial year for which the last Income-Tax return has been filed	Total income shown in Income-Tax return (in Rs.)
1	Self			
2	Spouse			
3	Dependent-1			
4	Dependent-2			
5	Dependent-3			

(5) I am/am not accused of any offence(s) punishable with imprisonment for two years or more in a pending case(s) in which a charge(s) has/have been framed by the court(s) of competent jurisdiction. If the deponent is accused of any such offence(s) he shall furnish the following information: -

The following case (s) is/are pending against me in which charges have been framed by the court for an offence punishable with imprisonment for two years or more:-

(a)	Case/First Information Report No./Nos. together with complete details of concerned Police Station/ District State.	
(b)	Section(s) of the concerned Act(s) and short description of the offence(s) for which charged	
(c)	Name of the Court, Case No. and date of order taking cognizance:	

(d)	Court(s) which framed the charge(s)	
(e)	Date(s) on which the charge(S) was/were framed	
(f)	Whether all or any of the proceeding(s) have been stayed by any Court(s) of competent jurisdiction	

(ii) The following case(s) is/are pending against me in which cognizance has been taken by the court [other than the cases mentioned in item (i) above] :-

(a)	Name of the Court, Case No. and date of order taking cognizance:	
(b)	The details of cases where the court has taken cognizance, section(s) of the Act(s) and description of the offence(s) for which cognizance taken	
(c)	Details of Appeal(s)/Application(s) for revision (if any) filed against the above order(s)	

(6) I have been/have not been convicted of an offence(s) [other than any offence(s) referred to in sub-section (1) or sub-section (2), or covered in sub-section (3), of section 8 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951)] and sentenced to imprisonment for one year or more.

If the deponent is convicted and punished as aforesaid, he shall furnish the following information:

In the following cases, I have been convicted and sentenced to imprisonment by a court of law:

(a)	The details of cases, Section(s) of the concerned Act(s) and description of the offence(s) for which convicted	
(b)	Name of the Court(s), Case No. and date(s) of order(s):	
(c)	Punishment imposed	
(d)	Whether any appeal was/has been filed against the conviction order. If so, details and the present status of the appeal:	

(7) That I give herein below the details of the assets (movable and immovable etc.) of myself, my spouse and all dependents:

A. Details of movable assets:

Note: 1: Assets in joint name indicating the extent of joint ownership will also have to be given.

Note: 2. In case of deposit/Investment, the details including Serial Number, Amount, date of deposit, the scheme, Name of the Bank/Institution and Branch are to be given

Note: 3. Value of Bonds/Share Debentures as per current market value in Stock exchange in respect of listed companies and as per books in case of non-listed companies should be given.

Note: 4. Dependent here has the same meaning as assigned in Explanation (v) under section 75A of the Representation of the People Act. 1951. .

Note: 5. Details including amount is to be given separately in respect of each investment

Sr. No.	Description	Self	Spouse	Dependent-1	Dependent-2	Dependent-3
(i)	Cash in hand					
(ii)	Details of deposit in Bank accounts (FDRs. Term Deposits and all other types of deposits including saving accounts). Deposits with financial					

	institutions. Non-Banking financial Companies and Cooperative societies and the amount in each such deposit					
(iii)	Details of investment in Bonds debentures / shares and units in companies/ mutual funds and others and the amount					
(iv)	Details of investment in NSS. Postal Saving. Insurance policies and investment any Financial instruments in Post office or Insurance Company and the amount					
(v)	Personal loans/ advance given to any person or entity including firm. company. Trust etc. and other receivables from debtors and the amount					
(vi)	Motor Vehicles/ Aircrafts/Yachts/ Ships (Details of Make registration number etc. year of purchase and amount)					
(vii)	Jewellery, bullion and valuable thing(s) (give details of weight and value)					
(viii)	Any other assets such as value of claims/ interest					
(ix)	Gross Total Value					

B. Details of Immovable Assets:

Note: 1. Properties in joint ownership indicating the extent of joint ownership will also have to be indicated

Note: 2. Each land or building or apartment should be mentioned separately in this format

Sr. No.	Description	Self	Spouse	Dependent-1	Dependent-2	Dependent-3
(i)	Agricultural Land Location(s) Survey number(s) Area (total measurement in acres)					

	<p>Whether inherited property (Yes or No)</p> <p>Date of purchase in case of self acquired property</p> <p>Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase</p> <p>Any investment on the land by way of development, construction etc.</p> <p>Approximate current market value</p>					
(ii)	<p>Non-Agricultural Land: Location(s)</p> <p>Survey number(s)</p> <p>Area (total measurement in sq.ft.)</p> <p>Whether inherited property (Yes or No)</p> <p>Date of purchase in case of self-acquired property</p> <p>Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase</p> <p>Any investment on the land by way of development, construction etc.</p> <p>Approximate current market value</p>					
(iii)	<p>Commercial buildings (including apartments)</p> <p>-Location(s) " -Survey number(s)</p> <p>Area (total measurement in sq.ft.)</p> <p>Built-up Area (total measurement in sq. ft.)</p> <p>Whether inherited property (Yes or no)</p> <p>Date of purchase of self-acquired property</p> <p>Cost of property (in case of purchase) at the time of purchase</p> <p>Any investment on the property by way of development,</p> <p>Approximate current market value</p>					

(iv)	Residential Buildings (including apartments):- Location(s)- Survey number(s) area Built up area (Total measurement in sq.ft.) Whether inherited property (Yes or No) Date of purchase in case of self-acquired property Cost of property (in case of purchase) at the time of purchase Any investment on the land by way of development, construction etc. Approximate current market value					
(v)	Others (such as interest in property)					
(vi)	Total of current market value of (i) to (v) above					

(8) I give herein below the details of liabilities/dues to public financial institutions and government:-

(Note: please give separate details of name of bank, institution, entity or individual and amount before each item)

Sr. No.	Description	Self	Spouse	Dependent-1	Dependent-2	Dependent-3
(i)	Loan or dues to Bank/financial institution(s)Name of the Bank or financial institution, Amount outstanding, Nature of Loan Loan or dues to any Other individuals/ entity other than mentioned above Name(s) Amount Outstanding, nature of loan Any other liability Grand total of liabilities					
(ii)	Government dues: Dues to departments dealing with government accommodation					

	Dues to department dealing with supply of water Dues to department dealing with supply of electricity Dues to department dealing with supply of telephones/ mobiles Dues to department dealing with government transport (including aircrafts and helicopters) Income tax dues Wealth tax dues Service tax dues Municipal/Property Tax dues Sales Tax dues Any other dues					
(iii)	Grand total of all Government dues					
(iv)	Whether any other liabilities are in dispute, if so, mention the amount involved, and the authority before which it is pending.					

(9) Details of profession or occupation:

- (a) Self
- (b) Spouse

(10) My educational qualification is as under:-

.....

(Give details of highest School/University education mentioning the full form of the certificate/diploma/degree course, name of the School/College/University and the year in which the course was completed.)

PART-B

(11) ABSTRACT OF THE DETAILS GIVEN IN (1) TO (10) OF PART-A:

1.	Name of the candidate	Sh./ Smt./Kum.
2.	Full postal address	
3.	Name of the Municipal Council/Committee	
4.	Name of the political party which set up the candidate (otherwise write 'Independent')	
5.	(i) Total number of pending cases where charges have been framed by the Court for offences punishable with imprisonment for two years or more (ii) Total number of pending cases where the court(s) have taken cognizance [other than the cases mentioned in item (i) above	

6.	Total Number of cases In which convicted and sentenced to imprisonment for one year or more [except for offences referred to in subsections (1), (2) or (3) of section 8 of Representation of the People Act, 1951]					
7.		PAN of	Year for which last income Tax return filed	Total income shown		
	Candidate					
	Spouse					
	Dependents					
8.	Details of Assets and Liabilities in Rupees					
	Description	Self	Spouse	Dependent-I	Depenent-II	Dependent-III
A	Moveable Assets (Total value)					
B.	Immovable Asset					
	I.	Purchase Price of self-acquired immovable property				
	II.	Development/ construction cost of immovable property after purchase (if applicable)				
	III	Approximate Current market price of-				
		(a) self-acquired assets (Total Value) (b) inherited assets (Total Value)				
9.		Liabilities				
	(i)	Government dues (Total)				
	(ii)	Loans from Bank, Financial Institutions and others (Total)				
10.		Liabilities that are under dispute				
	(i)	Government dues (Total)				
	(ii)	Loans from Bank, Financial Institutions and others (Total)				

11.	<p>Highest educational qualification: (Give details of highest School/ University education mentioning the full form of the certificate/ diploma/degree course, name of the School/College/ University and the year in which the course was completed.)</p>
-----	--

VERIFICATION

I, the deponent, above named, do hereby verify and declare that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed there from. I further declare that:-

- (a) there is no case of conviction or pending case against me other than those mentioned in items 5 and 6 of Part A and B above ;
- (b) I, my spouse, or my dependents do not have any asset or liability, other than those mentioned in items 7 and 8 of Part A and items 8, 9 and 10 of Part B above.

Verified at..... this theday of.....,

DEPONENT

 Note: 1. Affidavit should be filed latest by 10 A.M. on the date of scrutiny of nominations

Note: 2. Affidavit should be sworn before an Oath Commissioner or Magistrate of the First Class or before a Notary Public.

Note: 3. All column should be filled up and no column to be left blank. If there is no information to furnish in respect of any item, either "Nil" or "Not applicable", as the case may be, should be mentioned,

Note: 4. The Affidavit should be either typed or written legibly and neatly."

“FORM 1D”*(see rule 23A)*

Affidavit/declaration to be filed by the candidate along with nomination paper and Form 1C before the Returning Officer for election to President from Municipal Committee/Council.....**Or** election to member from Ward/Constituency Number..... of Municipal Committee/Council

I.....**son/daughter/wife agedyears, resident of..... (Mention full postal address), a candidate at the above election, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

(1) I am a candidate set up by(**name of the political party)**am contesting as an Independent candidate.

(**strike out whichever is not applicable)

(2) My name is enrolled in (Name of the Municipal Council/Committee at Serial No.in Part No.....)

(3) My contact telephone number(s) is/areand my e-mail id (if any) is

(4) I have not incurred any of the following disqualifications, as laid down under rule 21 of the Haryana Municipal Election Rules, 1978 :-

- (i) I have not been convicted and charges have not been framed against me in a criminal case for an offence, punishable with imprisonment for not less than ten years.
- (ii) I have not been failed to pay any arrear of any kind due to me to any Primary Agriculture Co-operative Society, District Central Co-operative Bank and District Primary Co-operative Agriculture Rural Development Bank. No Dues certificate(s) from the said institution(s) is/are enclosed.
- (iii) I have not been failed to pay arrears of electricity bills. No dues certificate from the concerned Power Utility is enclosed.
- (iv) I have passed matriculation examination or its equivalent examination from recognized institution/board

Or

I have passed the middle class (in case of a woman candidate or a candidate belonging to Scheduled caste)

Or

I have passed the 5th class (in case of a woman candidate belonging to Scheduled caste, **excluding President**)

A true attested copy of certificate issued by the concerned Institution/Board is enclosed.

- (v) I have a functional toilet at the place of my residence.

DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent, above named, do hereby verify and declare that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

Verified at..... this theday of.....,

DEPONENT

Note:1. Affidavit/Declaration should be filed latest by 10 A.M. on the date of scrutiny of nominations.

Note: 2. Affidavit should be sworn before an Oath Commissioner or Magistrate of the First Class or Notary Public.

Note: 3. All columns should be filled up and no column to be left blank. If there is no information to furnish in respect of any item, either "Nil" or "Not applicable", as the case may be, should be mentioned,

Note: 4. Affidavit/Declaration should either be typed or written legibly and neatly."

FORM 2*[see rule 39(2)]***APPOINTMENT OF POLLING AGENT**

Election to President from Municipal Committee/Council **Or** election to member
 from Ward/Constituency Number ofMunicipal Committee/Council

I, _____ a candidate at the above election, do hereby appoint _____
 son/daughter of _____ as a polling agent to attend to Polling Station No. _____ at/place fixed
 for the poll at _____.

Place: _____

Signature of Candidate

Date: _____

I agree to act as such Polling Agent

Place: _____

Signature of Polling Agent

Date: _____

Declaration of Polling Agent to be signed before Presiding Officer

I hereby declare that at the above election, I will not do anything forbidden by the Municipal Election Rules, 1978.

Date: _____

Signature of Polling Agent

Signed before me

Date: _____

Signature of Presiding Officer

FORM 2A

[see rule 39A]

APPOINTMENT OF ELECTION AGENT

Election to President from Municipal Committee/Council **Or** election to member
from Ward/Constituency Number of Municipal Committee/Council

To

The Returning Officer

I _____ a candidate at the above election do hereby appoint
Sh. _____ (Name and Address) as my election agent from this
day at the above election.

Place _____

Date _____

Signature of Candidate

I accept the above appointment

Place _____

Date _____

Signature of Election Agent

FORM 2B

[see rule 39B (2)]

APPOINTMENT OF COUNTING AGENT

Election to President from Municipal Committee/Council **Or** election to member from Ward/Constituency Number of Municipal Committee/Council

To

The Returning Officer/Presiding Officer,

I _____ a candidate/** the election agent of _____ who is a candidate at the above election hereby appoint the following persons as my/his** counting agents to attend the counting of votes at _____.

Name of the Counting Agent

Address of the Counting Agent

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

etc.

Place _____

Date _____

Signature of Candidate/ Election Agent**

We agree to act as such Counting Agents.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

etc.

Place _____

Date _____

Signature of the Counting Agents

DECLARATION OF THE COUNTING AGENTS

(To be signed before the Returning Officer/Presiding Officer)

We hereby declare that at the above election, we shall not do anything forbidden under sub-sections (1) and (2) of section 275 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), which we have read/has been read over to us.

1
2
3
4
5
6
etc.

Place _____

Date _____

Signature of Counting Agents
Signed before me

Signature of the Returning Officer/
Presiding Officer

** Strike off the inappropriate alternative.

Section 275 – (1) Every employee, agent or other person who performs any duties in connection with the recording or counting votes at an election shall maintain an aid in maintaining the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorized by or under any law) communicate to any person any information calculated to violate such secrecy.

(2) Any person who willfully acts in contravention of the provisions of this section shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding three months, or with fine, or with both.

FORM 3*[see rule 46(2)(c)]***LIST OF CHALLENGED VOTES**

Election to President from Municipal Committee/Council **Or** election to member
 from Ward/Constituency Number of Municipal Committee/Council

Polling Station _____

Signature Sheet No. _____

Serial No. of entry	Name of elector	Serial number of elector's name in the roll	Signature or thumb impression of the person challenged	Address of the person challenged	Name of identifier, if any	Name of challenger	Order of Presiding Officer	Signature of challenger on receiving refund of deposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Date: _____

Signature of Presiding Officer

FORM 4*[see rule 53(2)]***LIST OF BLIND AND INFIRM VOTERS**

Election to President from Municipal Committee/Council **Or** election to member
 from Ward/Constituency Number of Municipal
 Committee/Council

No. of Polling Station/place of poll _____

Serial number of elector on the roll	Full name of elector	Full name of companion	Address of companion	Signature of companion
1	2	3	4	5

Date: _____

Signature of Presiding Officer

FORM 5*[see rule 55(2)]***LIST OF TENDERED VOTES**

Election to President from Municipal Committee/Council **Or** election to member
from Ward/Constituency Number of Municipal Committee/Council
.....

Number of Polling Station/Place of Poll

Serial number and name of elector on the roll	Address of elector	Serial number of tendered ballot paper	Serial number of ballot paper issued to the person who has already voted	Signature or thumb impression of person tendering vote
1	2	3	4	5

Date:

Signature of Presiding Officer

FORM 6*(see rule 57)***BALLOT PAPER ACCOUNT**

Election to President from Municipal Committee/Council **Or** election to member
 from Ward/Constituency Number of Municipal Committee/Council

Number of Polling Station/Place of Poll _____

	<u>Serial Numbers</u>	<u>Total Number</u>
(1) Ballot papers received	_____	_____
(2) Ballot papers unused _____		
(a) with signature of the Presiding Officer, if any, and		_____
(b) Without the signature of the Presiding Officer		_____
(3) Ballot papers issued to voters		_____
(4) Ballot papers cancelled _____		
(a) for violation of voting procedure		_____
(b) for any other reason		_____
(5) Ballot papers used as tendered ballot papers		_____
(6) Ballot papers which should Be in the Ballot Box		_____

Date: _____

Signature of Presiding Officer

FORM 7*[see rule 60(2)]***(To be filled after counting of votes)****FORM OF ACCOUNT OF BALLOT PAPERS**

Election to President from Municipal Committee/Council **Or** election to member
 from Ward/Constituency Number of Municipal Committee/Council

Polling Station

Date of counting

I. Serial No.	Name of Candidate	Number of valid votes cast
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
4.	_____ <u>etc.</u>	_____
II.	Rejected ballot papers	_____
III.	Total	_____
IV.	Whether the total number of ballot papers shown against Item No.III above tallies with total shown against Item Number 6 in Form-6 or any discrepancy noticed between these two figures.	

Date: _____

Signature of Presiding Officer

FORM 8*[see rules 62, 69U (2) (c), 69V (1) and 69W (2)]***FORM OF CONSOLIDATION OF ACCOUNT OF THE COUNTED BALLOT PAPERS**

Election to President from Municipal Committee/Council **Or** election to member
 from Ward/Constituency Number of Municipal Committee/Council

Polling Station No.	Total votes found in the ballot box(es)/ EVM(s)	Number of tendered votes	Candidate's valid votes								Valid votes Total	Number of rejected ballot papers	Votes for "NOTA" option	Valid and rejected votes
			A	B	C	D	E	F	G	H				
1														
2														
3														
4														
5														
Etc.														
Total														

Place _____

Date _____

Returning Officer"

FORM 10

[see rule 50-A(1)]

LETTER OF INTIMATION TO RETURNING OFFICER

To

The Returning Officer

_____Ward/Constituency No. _____

Municipal Committee/Council _____

Sir,

I intend to cast my vote by post at the ensuing election to President from Municipal Committee/Council **Or** election to member from Ward/Constituency Number..... of Municipal Committee/Council

I have been posted on election duty at polling station No..... ofWard/Constituency in Municipal Committee/Council My name is entered at Serial Number of the electoral rolls forWard/Constituency of Municipal Committee/Council

The ballot paper may be sent to me at the following address.

Place _____

Date _____

Yours faithfully,

(-----)

FORM 11*[see rule 69N (1)]***APPLICATION FOR ELECTION DUTY CERTIFICATE**

Election to President from Municipal Committee/Council **Or** election to member
 from Ward/Constituency Number of Municipal Committee/Council

To

The Returning Officer,

Sir,

I intend to cast my vote in person at the ensuing election to the above ward. My name is entered at
 Serial Number _____ in part No. _____ of the electoral roll for the above Ward/Constituency.

I have been posted on election duty at Polling Station Number _____ Polling Station Name
 _____ of Ward/Constituency Number _____.

I request that an Election Duty Certificate in Form 13 may be issued to enable me to vote at the polling
 station where I shall be on duty on the polling day. It may be sent to me at the following address :-

Yours faithfully,

Date _____

(Applicant's name)

FORM 12*[see rules 69G, 69H(7), 69M, 69P(1)(b) and 69X(1)(e), Form 18]***REGISTER OF VOTERS**

Election to President from Municipal Committee/Council **Or** election to member
 from Ward/Constituency Number of Municipal Committee/Council

Number and Name of Polling Station _____

Part No. of Electoral Roll _____.

Serial Number	Serial number of elector in the electoral roll	Signature/thumb impression of elector	Remarks

1
 2
 3
 4
 5
 etc.

Signature of the Presiding Officer

FORM 13*[see rules 69M, 69N(1)(a) and 69P(1)(e)]***ELECTION DUTY CERTIFICATE**

Certified that Sh./Smt./Ms. _____ S/o/ D/o/ W/o
_____ is an elector in the
_____ * Ward/Constituency, his electoral roll number being
_____ that by reason of his being on election duty, he is unable to vote at the polling station,
where he is entitled to vote and as such is hereby authorized to vote at any polling station, he may be on duty on the
date of poll.

Place _____

Date _____

Signature of Returning Officer

Seal

* - Appropriate particulars to be inserted.

FORM 14

[see rule 69N(4)(a) and (6)(b) and (c) and Form 17]

DECLARATION BY ELECTOR FOR USE OF POSTAL BALLOT PAPER

(This side is to be used only when the elector signs the declaration himself)

Election to President from Municipal Committee/Council **Or** election to member from Ward/Constituency Number of Municipal Committee/Council

I hereby declare that I am the elector to whom the postal ballot paper bearing serial number _____ has been issued at the above election.

Date _____

Signature of the Elector

Address _____

ATTESTATION OF SIGNATURE

The above has been signed in my presence by _____ (elector) who is personally known to me/has been identified to my satisfaction by _____ (identifier) who is personally known to me .

Signature of the Identifier

If any _____

Address _____

Signature of the Attesting Officer,

Designation _____

Address _____

Date _____

(This side is to be used when the elector cannot sign himself)

I hereby declare that I am the elector to whom the postal ballot paper bearing serial number _____ has been issued at the above election.

Date _____

Signature of Attesting Officer

On behalf of Elector

Address of Elector _____

CERTIFICATE

I hereby certify that –

- (1) the above named elector is personally known to me/has been identified to my satisfaction by _____ (identifier) who is personally known to me ;
- (2) I am satisfied that the elector is illiterate/suffers from _____ (infirmity) and is unable to record his vote himself or sign his declaration.
- (3) I was requested by him to mark the ballot paper and to sign the above declaration on his behalf; and
- (4) The ballot paper was marked and the declaration signed by me on his behalf in his presence and in accordance with his wishes.

Signature of the Identifier

If any _____

Address _____

Signature of the Attesting Officer,

Designation _____

Address _____

Date _____

FORM 15

[see rule 69N(4)(b) and (6)(a)]

COVER "A"

NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING

Election to President from Municipal Committee/Council **Or** election to member from Ward/Constituency Number of Municipal Committee/Council

POSTAL BALLOT PAPER

Serial Number of ballot paper.....

FORM 16

[see rule 69N(4)(c)]

LARGE COVER “B”

To be used at an election to President from Municipal Committee/Council Or election to member from Ward/Constituency Number of Municipal Committee/Council

COVER “B”

SERVICE UNPAID

Every Officer under whose care or through whom a postal ballot paper is sent shall ensure its delivery to the address without delay. [Rule 50A(4)]

ELECTION – IMMEDIATE

Postal Ballot Paper

For election to President from Municipal Committee/Council Or election to member from Ward/Constituency Number of Municipal Committee/Council

(NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING)

To

The Returning Officer

** _____

Signature of the Sender _____

** Returning Officer to mention here the full address.

FORM 17

[see rules 69N(4)(d) and (6)(a) and (c) and 69W(1)]

INSTRUCTION FOR THE GUIDANCE OF ELECTORS FOR USE OF POSTAL BALLOT PAPER

Election to President from Municipal Committee/Council **Or** election to member from Ward/Constituency Number of Municipal Committee/Council

The person whose names are printed on the ballot paper sent herewith are candidates at the above election. If you desire to vote you shall record your vote in accordance with the directions given in Part-I below and then follow the instructions detailed in Part-II.

PART I**DIRECTIONS TO ELECTORS**

1. The number of members to be elected is one.
2. You have only one vote.
3. You must not vote for more than one candidate. If you do so your ballot paper shall be rejected.
4. Record the vote by placing clearly a mark opposite the name of the candidate to whom you wish to give that vote.
5. The mark shall be so placed as to indicate clearly and beyond doubt to which candidate you are giving your vote. If the mark is so placed as to make it doubtful to which candidate you have given the vote, that vote shall be invalid.
6. Do not put your signature or write any word or make any mark, sign or writing whatsoever on the ballot paper other than the mark which you are required to make thereon in accordance with paragraph 4.
7. An elector shall obtain the attestation of his signature on the declaration in Form 14 by a magistrate or a Gazetted Officer, if he is on election duty, by any Gazetted Officer or by the Presiding Officer of the polling station in which he is on election duty; and

PART II**INSTRUCTIONS FOR ELECTORS**

- (a) After you have recorded your vote on the ballot, place the ballot paper in the smaller cover marked "A" sent herewith. Close the cover and secure it by seal or otherwise.
- (b) You have then to sign the declaration in Form 14 also sent herewith in the presence of a Magistrate or any other Officer competent to attest your signature (see direction 7 above). Take the declaration to any such Officer and sign it in his presence after he has been satisfied about your identity. The Officer shall attest your signature and return the declaration to you. You must not show your ballot paper to the Attesting Officer nor tell him how you have voted.
- (c) If you are unable to mark the ballot paper and sign the declaration yourself in the manner indicated above by reason of illiteracy, blindness or other infirmity you are entitled to have your vote marked and the declaration signed on your behalf by any Officer referred to in item (b). Such an Officer shall at your request mark the ballot paper in your presence and in accordance with your wishes. He shall also complete the necessary certificate in this behalf.
- (d) After your declaration has been signed and your signature has been attested in accordance with item (b) or item (c) place the declaration in Form 14 as also the smaller cover marked "A" containing ballot paper, in the larger cover marked "B". After closing the larger cover, sent it to the Returning Officer by post or by messenger. You have to give your full signature in the space provided on the cover marked "B" No postage stamp need be affixed by you.
- (e) You must ensure that the cover reaches the Returning Officer before ** _____ on _____
- (f) Please note that:
 - (i) If you fail to get your declaration attested or certified in the manner indicated above, your ballot paper shall be rejected; and
 - (ii) If the cover reaches the Returning Officer after _____ on the _____ your vote shall not be counted.

** Here specify the hour and date fixed for the commencement of counting of votes.

FORM 18

[see rules 69Q (1), 69R (1) (ii), 69U (2) (a) and (b), 69V (1)]

PART-I – ACCOUNT OF VOTES RECORDED

Election to President from Municipal Committee/Council **Or** election to member from Ward/Constituency Number of Municipal Committee/Council

Number and Name of Polling Station _____

Identification Number of Voting Machine used at the Polling Station

Control Unit _____

Balloting Unit _____

1. Total Number of electors assigned to the Polling Station.....
2. Total Number of voters entered in the Register of Voters (Form 12)
3. **Total number of voters for “None of the Above (NOTA)”**
4. Number of voters not allowed to vote under rule 69G or 69H.....
5. Total Number of votes recorded as per voting machine.....
6. Whether the total number of votes as shown against item 5 tallies with the total number of voters as shown against item 2-4 or any discrepancy noticed **(Yes or No)**.
7. Number of voters to whom tendered ballot papers were issued under rule 55
8. Number of tendered ballot papers.

Serial number

- From To
- (a) received for use _____
 - (b) issued to electors _____
 - (c) not used and returned _____

9. Account of papers seals

Serial numbers

From To

1. Serial number of paper seals supplied.
From _____ to _____
2. Total numbers supplied.
3. Number of paper seals used.
4. Number of unused paper seals returned to Returning Officer (Deduct item 3 from item 2)
5. Serial number of damaged paper seal, if any

Signature of Polling Agents

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Date _____

Place _____

Signature of Presiding Officer

Polling Station No. _____

PART-II – RESULT OF COUNTING

Serial Number	Name of Candidate	No. of votes recorded
1	A	
2	B	
3	
4	
5	None of the above	
....		
Total		

Whether the total numbers of votes shown above tallies with the total Number of votes shown against the item No. 5 of Part-I or any discrepancy noticed between the two totals.

Place _____

Date _____

Signature of Counting Supervisor/Presiding Officer

Name of Candidate/election agent/counting agents

Full Signature

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

.....
.....

Signature of Returning Officer/Presiding Officer

S. N. ROY,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Urban Local Bodies Department.